

प्रश्न सं. [क. 3245]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 3245

प्रदेश में 2017 से चयनित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की सूची

क्रं	क्षेत्रीय कार्यालय	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला
1	इन्दौर	नवीन एकीकृत औ.क्षेत्र पीथमपुर क्र.5 (प्रथम चरण)	धार
2		नवीन औ.क्षेत्र रेहटा-खाड़कोद	बुरहानपुर
3		नवीन बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र सह जेम्स एण्ड जैलरी तथा आई.टी. पार्क	इन्दौर
4		एमरॉल्ड आई.टी. पार्क	इन्दौर
5		औद्योगिक पार्क मोहना (इन्दौर)	इन्दौर
6		औद्योगिक पार्क रतलाम	रतलाम
7		औद्योगिक पार्क किंग्रा	इन्दौर
8		औद्योगिक पार्क रंगवासा	इन्दौर
9		औद्योगिक पार्क पीथमपुर	धार
10		औद्योगिक पार्क जावरा	रतलाम
11		औद्योगिक पार्क बदनावर	धार
12	भोपाल	नवीन एकीकृत टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा (प्रथम चरण)	भोपाल
13		औद्योगिक पार्क सीहोर	सीहोर
14		औद्योगिक पार्क भोपाल (अचारपुरा) विस्तार	भोपाल
15		औद्योगिक पार्क भोजपुर (बगरौदा) विस्तार	रायसेन
16		औद्योगिक पार्क रेहली	सागर
17	जबलपुर	नवीन औ.क्षेत्र लेहगड़ा	छिन्दवाड़ा
18		नवीन औ.क्षेत्र खैरीयतागांव (बोरगांव)	छिन्दवाड़ा
19		औद्योगिक पार्क कटनी	कटनी
20		औद्योगिक पार्क छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
21	रीवा	नवीन औ.क्षेत्र गुड	रीवा
22		नवीन औ.क्षेत्र उद्योगद्वीप बैड़न (तृतीय चरण)	सिंगरौली
23		औद्योगिक पार्क शहडोल	शहडोल
24		औद्योगिक पार्क सिंगरौली (मोरवा)	सिंगरौली
25		औद्योगिक पार्क बरगढ़ा	सिंगरौली
26		औद्योगिक पार्क मउगंज	रीवा
27	ग्वालियर	औद्योगिक पार्क औरछा विस्तार	निवाड़ी
28		औद्योगिक पार्क मुरैना	मुरैना

(३)
22/2/2021
प्रभारी कार्यपालन यंत्री

बहुत थेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज

1. विशेष पैकेज की प्रकाशीलता:- इस विशेष पैकेज का लाभ बैठत ऐसी परियोजनाओं को देय होगा जो उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) अथवा इसके बाद लागू होने वाली नीतियों से अधिशासित हो।
2. बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ:- पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ इकाई में एक वर्ष से अधिक उत्पादन निरुद्ध होने की स्थिति में ही प्रदान किया जावेगा एवं उत्पादन निरुद्ध रहने की अवधि के समतुल्य अवधि को सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पात्रता अवधि के रूप से प्रदान किया जावेगा।
3. बकाया देयकों के भुगतान की सुविधा - इकाई के बंद होने के दिनांक तक संबंधित विभागों/संस्थाओं के बकाया देयकों को अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में एक भूश्ट जमा कराने पर, व्याज/शास्ति की माफी अन्यथा बकाया राशि (व्याज/शास्ति सहित) को 6 अर्धवार्षिक किंतु में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।
4. नवीन इकाई की भाँति सुविधा का लाभ - प्लांट एवं मशीनरी में नवीन पूँजी निवेश, पूर्व पूँजी निवेश के 30 प्रतिशत या रु. 50 करोड़ (इनमें से जो भी कम हो) होने पर प्रचलित नीति अंतर्गत नवीन इकाई के समान सुविधा का लाभ दिया जायेगा।
5. मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा - प्लांट एवं मशीनरी में रु. 100 करोड़ से अधिक के नवीन पूँजी निवेश किया जाता है तो इकाई को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जायेगा एवं कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति के समक्ष आवेदन दिया पात्रता होगी।
6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अंतर्गत उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिये प्रावधानित इस विशेष पैकेज की सुविधा लागू नहीं होगी।

(पंडा राठीर)
उपरांत निवेश
व्याज/शास्ति शारण
राज्य संसदीय विभाग